न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– **अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 212 / 2023
Gcms No :– 2016 / 00002

वादी :–

1. चेतनराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी
रायमलवाडा तहसील बापिणी
जिला फलौदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. पुराराम पुत्र हिम्मताराम के
कायम मुकाम :–
1.1. गोरखाराम पुत्र पुराराम
1.2. ताजाराम पुत्र पुराराम
1.3. मोहनराम पुत्र पुराराम
1.4. रेंवतराम पुत्र पुराराम
फौत के कायम मुकामः–
1.5.1 पुनाराम पुत्र रेंवतराम
1.5.2. डुंगरराम पुत्र रेंवतराम
1.5.3. तुलछाराम पुत्र रेंवतराम
1.5.4. गंवरी पत्नी रेंवतराम
2. मोडाराम पुत्र हिम्मताराम फौत
के कायम मुकाम :–
2.1. बाबुराम पुत्र मोडाराम
2.2. अमानाराम पुत्र मोडाराम
3. पन्नाराम पुत्र कोलाराम
4. भोमाराम पुत्र अलाराम
सभी जाति जाट निवासी
रायमलवाडा तहसील बापिणी
जिला फलोदी।
5. श्रीमान तहसीलदार बापिणी।

वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :– राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (1से 4) की ओर से :– कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (05) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27 / 08 / 2025

वादी का वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम रायमलवाडा के खसरा नम्बर 174 रकबा 5.3095 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादी ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 / 1, 4 की तरफ से राजेन्द्र चौधरी व प्रतिवादीगण संख्यां 1, 2 / 2, 3 से कोई नहीं उपस्थित हुए। जिनके विरूद्ध वाद में दिनांक 08.02.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा कर वादी की बहस सुनकर वादी का वाद धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत वाद बन्टवारा स्वीकार करके

सहायक कलेक्टर बापिणी

दिनांक 07.02.2022 को प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिस पर उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी की वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का आग्रह किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर शामिल मिसल किया जा कर हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग दावें में की है। वादी एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये गये जा चुके हैं। उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद प्रस्ताव पर को आपत्ति नहीं आयी। और हस्तगत वाद में विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय परीक्षण, विवेचना एंव विश्लेषण के द्वारा इस वाद में बन्टवारे के सम्बन्ध में इस न्यायालय की राय व अभिमत से विभाजन प्रस्ताव न्यायहित में उचित एंव समर्थन योग्य पाया है। अतेव हस्तगत दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता हैं।

चूकि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद वादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादीगण का वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रायमलवाडा की जमाबन्दी सम्वंत 2072–2075 के खाता नम्बर 338 का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि :–

कम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	चेतनराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	174	0.8849	बारानी–2	0.21
2.	अमानाराम, बाबूराम पिता मोडाराम 1/5, गोरखाराम पुत्र पुराराम 1/4, गंवरी पत्नी रेंवतराम, डुंगरराम, तुलछाराम, पुनाराम पिता रेंवतराम 1/20, मोहनराम पुत्र पुराराम 1/20, ताजाराम 1/20, पन्नाराम पुत्र कोलाराम 1/5, भोमाराम पुत्र अलाराम 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	174	4.4246	बारानी–2	1.01

सहायक कलेक्टर बापिणी

उक्त विभाजन प्रस्ताव को सारणी अनुसार हिस्से में रखते हुऐ तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण के हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सेंनानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखीं जाती है अन्तिम विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 26/06/2025 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें अंतिम डिकी पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बापिणी (फलोदी)

अमिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी